

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित वार्षिक योजना
अनुमोदित कार्य योजना का विवरण

राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना सीमा रुपये 159496.82 लाख

| क्र. | योजना /कार्यक्रम का नाम | योजना एसएस/ डीएस | योजना कोड | प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य | | | | इकाई | प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान (राज्य + केन्द्र) | | | |
|------|---|------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | कुल | सामान्य | आदिवासी उपयोजना | विशेष घटक उपयोजना | | कुल | सामान्य | आदिवासी उपयोजना | विशेष घटक उपयोजना |
| 1 | आंशिक पूर्ण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था (40 से 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) | डी एस | 2019 | 7500 | 3915 | 2350 | 1235 | बसाहट | 15000.00 | 8751.00 | 4050.00 | 2199.00 |
| 2 | ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था | डी एस | 2021 | 2000 | 1160 | 540 | 300 | शाला | 5150.00 | 3270.44 | 1222.34 | 657.22 |
| 3 | नलजल प्रदाय योजनाओं हेतु प्रावधान | डी एस | 2026 | 2000 | 1210 | 540 | 250 | बसाहट | 54035.40 | 34128.40 | 12842.00 | 7065.00 |
| 4 | ग्रामीण ऑगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था | डी एस | 9001 | 4000 | 2320 | 1080 | 600 | ऑगनवाड़ी | 4400.00 | 2295.00 | 1365.00 | 740.00 |
| 5 | ग्रामीण अनुसूचित जाति/ जनजाति आश्रम-छात्रावासों में स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्था | डी एस | 4000 | 500 | 0 | 300 | 200 | आश्रम-छात्रावास | 2550.00 | 0.00 | 1650.00 | 900.00 |
| 6 | हैंडपंपों का नियमित रख-रखाव | डी एस | 2029 | 520000 | 301600 | 140400 | 78000 | हैंडपंप | 8320.00 | 4633.00 | 2390.00 | 1297.00 |
| 7 | पुराने टूटे-फूटे हैंडपंप प्लेटफार्म का निर्माण | डी एस | 2030 | 20000 | 11600 | 5400 | 3000 | संरचना | 1500.00 | 715.00 | 572.00 | 213.00 |
| 8 | ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का संधारण (योजना के असफल स्रोत के स्थान पर सफल स्रोत विकसित कर जोड़ना) एवं वृहद समूह जल प्रदाय योजनाओं का संचालन-संधारण। | डी एस | 2031 | 1200 | 695 | 325 | 180 | योजना | 6680.00 | 3555.00 | 2025.00 | 1100.00 |
| | कुल (डी.एस.) | | | | | | | | 97635.40 | 57347.84 | 26116.34 | 14171.22 |
| 9 | राज्य क्षेत्रीय योजनाएं | एस एस | 2003 | एल एस | - | - | - | | 660.00 | 460.00 | 200.00 | 0.00 |
| 10 | गुणवता प्रभावित बसाहटों का आच्छादन (फ्लोराइड, आयरन, खारापन) | एस एस | 211 | 632 | 197 | 305 | 130 | बसाहट | 2500.00 | 1030.00 | 750.00 | 720.00 |
| 11 | गुणवता प्रभावित बसाहटों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(5 प्रतिशत ईयर मार्क) | एस एस | 9102 | 75 | 10 | 45 | 20 | बसाहट | 600.00 | 155.00 | 225.00 | 220.00 |
| 12 | सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल स्रोतों का स्थायित्व- भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण | डी एस | 2022 | 2600 | 1225 | 750 | 625 | संरचना | 5000.00 | 2175.00 | 1400.00 | 1425.00 |
| 13 | गुणवता नियंत्रण अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम हेतु प्रावधान (केन्द्र क्षेत्रीय कार्यक्रम) | एस एस | 208 | 51 जिले | 51 जिले | - | - | 51 जिले | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | भारत सरकार की सहायक गतिविधियाँ (केन्द्र क्षेत्रीय कार्यक्रम) | एस एस | 7142 | 51 जिले | 51 जिले | - | - | 51 जिले | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) | | | | | | | | 110445.40 | 65217.84 | 28691.34 | 16536.22 |
| 15 | ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य (उपखंडीय प्रयोगशालाओं की स्थापना) | एस एस | 11100 | 51 जिले | 51 जिले | - | - | प्रयोगशाला | 600.00 | 305.00 | 150.00 | 145.00 |
| 16 | ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं हेतु खदान क्षेत्र विकास निधि | एस एस | 7128 | | | - | - | ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं | 1000.00 | 510.00 | 250.00 | 240.00 |
| 17 | म.प्र. जल निगम मर्यादित हेतु राज्यांश की अंशपूजी हेतु वित्तीय प्रावधान | एस एस | 8295 | एल एस | - | - | - | अंशपूजी | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश का 30 प्रतिशत वित्तीय प्रावधान | एस एस | 9104 | 19 योजनाएं | 19 योजनाएं | - | - | नलजल प्रदाय योजनाएं | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत राज्यांश का वित्तीय प्रावधान (नाबाई) | एस एस | 9105 | 28 योजनाएं | 28 योजनाएं | - | - | नलजल प्रदाय योजनाएं | 26972.60 | 5817.91 | 5747.69 | 15407.00 |

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित वार्षिक योजना
अनुमोदित कार्य योजना का विवरण

राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना सीमा रुपये 159496.82 लाख

| क्र. | योजना /कार्यक्रम का नाम | योजना एसएस/ डीएस | योजना कोड | प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य | | | | इकाई | प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान (राज्य + केन्द्र) | | | |
|------|---|------------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | कुल | सामान्य | आदिवासी उपयोजना | विशेष घटक उपयोजना | | कुल | सामान्य | आदिवासी उपयोजना | विशेष घटक उपयोजना |
| 20 | नर्मदा क्षिप्रा लिंक आधारित पेयजल योजना का क्रियान्वयन | एस एस | 10362 | 331 योजनाएं | 331 योजनाएं | - | - | ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं | 1000.00 | 510.00 | 250.00 | 240.00 |
| 21 | बुन्देलखण्ड द्वितीय चरण | एस एस | 9242 | एल एस | - | - | - | ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं | 14656.80 | 7636.80 | 3140.00 | 3880.00 |
| 22 | आई टी/ई-गवर्नेन्स | एस एस | 10230 | एल एस | - | - | - | . | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Policy Reform, Enterprise Resource Planning & Vision 2018 | एस एस | 10231 | एल एस | - | - | - | . | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना | एस एस | 11099 | 14 | 14 | - | - | . | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | नगरीय क्षेत्र कार्यक्रम | | | | | - | - | | | | | |
| 25 | पेंचव्हेली जलप्रदाय योजना | एस एस | 7127 | 1 | 1 | - | - | योजनाओं की संख्या | 582.00 | 157.00 | 225.00 | 200.00 |
| 26 | सामान्य नगरीय जल प्रदाय योजनाएं | एस एस | 197 | 7 | 7 | - | - | योजनाओं की संख्या | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 10.00 |
| 27 | अधोसंरचना एवं विकास कार्य | एस एस | 8254 | 1 | 1 | - | - | योजनाओं की संख्या | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | महायोग | | | | | | | | 159496.82 | 84384.57 | 38454.03 | 36658.22 |

राज्य क्षेत्र कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव अर्थात प्रशासन एवं दिग्दर्शन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मशीनरी एवं यंत्र इत्यादि

प्रमुख अभियंता